न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.एस.एस

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. अनिलकुमार पुत्र मदनलाल जैन निवासी सांभर लोक जि. जयपुर		1. धन्नाराम पुत्र पोकरराम जाट
2. सतीशकुमार पुत्र अशोक कुमार		2. रामचन्द्र पुत्र पोकराराम जाट
3. राजकुमार पुत्र अशोक कुमार		3. दानाराम पुत्र पोकरराम जाट
4. संजीवकुमार पुत्र अशोक कुमार जाति नमनोचा सा. डी.48 डीयू पीतमपुरा नई दिल्ली		4. सुवाराम पुत्र गुमानाराम जाट
		5. गीतादेवी पत्नी नानकराम रैगर
		6. भुराराम पुत्र छगनाराम जाट
		7. सुजाराम पुत्र छगनाराम जाट
		8. रामचन्द्र पुत्र छगनाराम जाट
		9. रामेश्वर पुत्र छगनाराम जाट निवासी बनगढ़ तह. नांवा
		10. शाख प्रबन्धक युको बैंक गुढा साल्ट
		11. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा ।

उपस्थित :– राजेन्द्र कुमार शर्मा वकील वादीगण

मुकदमां नम्बर :– 53/2016 निर्णय दिनांक :– 09-1-17

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम बनगढ़ के खसरा नम्बर 779, 780, 781, 789 कुल रकबा 11.43 हैक्टयर में से 6.925 हैक्टयर भूमि तत्कालीन खातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड बैचान खरीद किया हैं, तत्कालीन खातेदारान द्वारा बैचान के बाद भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया हैं तब से आज दिनांक तक काबिज काश्त हैं वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा कर लिया था तथा सीवें नीवे अलग अलग कायम कर काबिज हैं उपरोक्त आराजीयत में खसरा नम्बर 781 रकबा 4.60 हैक्टयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 780 रकबा 4.65 हैक्टयर भूमि में से दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात 2.325 हैक्टयर पर काबिज काश्त हैं, वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा मे दर्शित मार्क ए.बी.सी.डी.एफ.जी.एच. स्थान के मध्य 6.925 हैक्टयर वादीगण की शामलाती रूप से

काबिज हैं। वादीगण ने इसी माफिक खातेदारी घोषणा की जाकर बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड किया जाने की इस्तदुआ की हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बार बार भिजवाऐ जाने के बावजूद प्रतिवादीगण तामील से बचते रहे एवं विधिवत रूप से तामील नहीं होने पर पतिवादीगण के सम्मन स्थानिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने की स्वीकृति दी गई जिसकी पालना में प्रतिवादीगण के सम्मन दिनांक 20 सितम्बर 2016 को स्थानिय दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में प्रकाशित करवाऐ गये जिसके बावजूद एक माह से अधिक समय तक इन्तजार करने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई तत्पश्चात साक्ष्य वादी में वादीगण स्वंय व गवाह मांगीलाल, प्रमोदकुमार के शपथ पत्र पेश किऐ हैं और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर वकील वादी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दसतावेज का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के अनुसार खसरा नम्बर 779, 780, 791, 782 कुल रकबा 11.43 हैक्टयर भूमि में धन्नाराम, रामचन्द्र, दानाराम पि. पोकरराम, सुवाराम पुत्र गुमानाराम, शतीश कुमार, राजकुमार, संजीवकुमार पि. अशोर कुमार, जाति मनोचा सा. यु 48 पितमपुरा नई दिल्ली, अनिल कुमार पुत्र मदलाल जैन सा. सांभर लोक रकबा 3.63 हैक्टयर, सतीशकुमार, राजकुमार, संजीवकुमार पि. अशोक कुमार मनोचा व अनिल कुमार पुत्र मदनलाल जैन सा. सांभर लोक 3.63 हैक्टयर तथा गीतादेवी पत्नी नानकराम जाति रैगर सा. केशवपुरा, आजाद नगर जयपुर, सरजू, लाडा, नानकी पुत्रियां छगनाराम, गंगादेवी पत्नी छगनाराम, भूराराम, सुजाराम, रामचन्द्र, रामेश्वर पि. छगना जाति जाट सा. देह 1/2, अनिल कुमार पुत्र मदनलाल जाति जैन सा. सांभर लोक 1/2 दर हिस्सा करबा 4.17 हैक्टयर खातेदार रहिन सुवाराम पुत्र गुमानाराम का हिस्सा युको बैंक गुढा साल्ट मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। सरजू, लाडा, नानकी पुत्रिया छगनाराम, गंगादेवी पत्नी छगनाराम ने हकत्याग करने पर भूराराम, सुजाराम, रामचन्द्र, रामेश्वर पि. छगनाराम जाति के हक में दर्ज रिकार्ड किया गया है, इसी माफिक खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण व प्रतिवादगीण उक्त विवादित आराजीयत में संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं जिसका राजस्व रिकार्ड में विधितव बंटवारा नहीं किया हुआ हैं वादीगण ने मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी समझाईश से बंटवारा कर भौतिक रूप से अलग अलग काबिज काश्त होना बताया हैं जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादगीण ने बावजूद सम्मन तामील के कोई एतराज या उज्र पेश नहीं की हैं प्रस्तुत गवाहों ने भी अपने शपथ पत्र में वादीगण के वाद को वादीगण के वाद का स्वीकार किया हैं वादीगण उक्त भूमि के रिकार्डड खातेदार काश्तकार हैं जिनको अपने हक हिस्से की भूमि

9/1/17
अधिकारी

का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाने का पूर्ण अधिकार हैं जिससे वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किऐ जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिकी किया जाता हैं कि ग्राम बनगढ के खसरा नम्बर 738 से 751 व 754 से 765, 769 व 1343 से 1345 ओर 1359 से 1360 व 1548/746 कुल रकबा 11.43 हैक्टयर भूमि में खसरा नम्बर 781 सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 780 रकबा 4.65 हैक्टयर में दक्षिणी तरफ की 1/2 अथार्त 2.325 कुल 6.925 हैक्टयर भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं जिसमें वादी संख्या 1 को 4.505 हैक्टयर भूमि का तथा तथा वादी 2 से 4 को 2.42 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीदार नांवा को आदेश दिया जाता हैं कि माफिक प्राथमिक निर्णय अनुसार उभय पक्षकारो को विधिवत रूप से सूचित कर पक्षकारो की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जावे। तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09-1-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/1/17

(एस.एम.शाह)

उपखण्ड अधिकारी, नांवा

उपखण्ड अधिकारी
नांवा